



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265760
CG-DL-E-28082025-265760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3820]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947

No. 3820]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2025

का.आ. 3925(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 10 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2023 के अधिक्रमण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 24 सितंबर, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3260 (अ), तारीख 24 सितंबर, 2020 (उक्त अधिसूचना) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में पैरा (4) और (5) तथा उससे संबंधित सारणियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: --

"(4) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन, धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के निम्नलिखित सदस्यों को, राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. नीरजा अरुण गुप्ता	गुजरात
2.	डॉ. एम के असेरी	राजस्थान
3.	डॉ. सुरेंद्र कश्यप	हिमाचल प्रदेश
4.	डॉ. मुकेश त्रिपाठी	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
5.	डॉ. चंद्रशेखर पुलाला	आंध्र प्रदेश
6.	डॉ। दिवाकर चंद्र डेका	मिजोरम
7.	प्रो. पी एस शुक्ला	मेघालय
8.	प्रो. (डॉ.) दिनेश कुमार सिंह	झारखंड
9.	डॉ. सुमन	चंडीगढ़
10.	डॉ. अशोक खंडेलवाल	मध्य प्रदेश

(5) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन, धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के निम्नलिखित सदस्यों को, राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य आयुर्विज्ञान परिषद का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. सुदीप्ता कुमार राय	पश्चिम बंगाल आयुर्विज्ञान परिषद
2.	डॉ शरणबसप्पा एस. करभारी	कर्नाटक आयुर्विज्ञान परिषद
3.	डॉ. जॉर्ज थिरा	नागालैंड आयुर्विज्ञान परिषद
4.	डॉ. महेश कुमार सिन्हा	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद
5.	डॉ. कनक चौधरी	त्रिपुरा आयुर्विज्ञान परिषद
6.	डॉ. संदीप डोगरा	जम्मू और कश्मीर आयुर्विज्ञान परिषद
7.	डॉ. अनूप कुमार बर्मन	असम आयुर्विज्ञान परिषद
8.	डॉ. सिम्पसन सारेओ	मणिपुर आयुर्विज्ञान परिषद
9.	डॉ. मनोज कुमार वर्मा	उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद"

[फा. सं. यू.12012/18/2024-एमई - I]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2025

S.O. 3925(E).— In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 4 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 10 (E), dated the 2nd January, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O.

3260 (E), dated the 24th September, 2020 (the said notification) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th September, 2020, namely:-

2. In the said notification, for paragraphs (4) and (5) and the tables relating thereto, the following shall be substituted, namely :--

"(4) Under clause (b) of sub-section (4) of section 4, the following members of the Medical Advisory Council nominated under clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 11, shall be appointed as part-time Members for a period of two years with effect from the date of notification of their appointment in the Official Gazette:

Serial Number	Name of the Member	Name of State or Union territories
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Nirja Arun Gupta	Gujarat
2.	Dr. M K Aseri	Rajasthan
3.	Dr. Surender Kashyap	Himachal Pradesh
4.	Dr. Mukesh Tripathi	Andaman & Nicobar Islands
5.	Dr. Chandra Sekhar Pulala	Andhra Pradesh
6.	Dr. Dibakar Chandra Deka	Mizoram
7.	Prof. P S Shukla	Meghalaya
8.	Prof. (Dr.) Dinesh Kumar Singh	Jharkhand
9.	Dr. Suman	Chandigarh
10.	Dr. Ashok Khandelwal	Madhya Pradesh.

(5) Under clause (c) of sub-section (4) of section 4, the following members of the Medical Advisory Council nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 11, shall be appointed as part-time Members for a period of two years with effect from the from the date of notification of their appointment in the Official Gazette:

Serial Number	Name of the Member	Name of State Medical Council
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Sudipta Kumar Roy	West Bengal Medical Council
2.	Dr. Sharanabasappa S. Karbhari	Karnataka Medical Council
3.	Dr. George Thira	Nagaland Medical Council
4.	Dr. Mahesh Kumar Sinha	Chhattisgarh Medical Council
5.	Dr. Kanak Choudhury	Tripura Medical Council
6.	Dr. Sandeep Dogra	Jammu & Kashmir Medical Council
7.	Dr. Anup Kumar Barman	Assam Medical Council
8.	Dr. Simpson Sareo	Manipur Medical Council
9.	Dr. Manoj Kumar Verma	Uttarakhand Medical Council".

[F. No. U.12012/18/2024-ME-I]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.